कृषि निदेशालय, बिहार

आ0 संख्या–6/स्था0अन्य–86/15 /कृ0, पटना, दिनांक , 2016

आदेश

श्री अशोक कुमार यादव, कृषि समन्वयक (कृषि कार्य मुक्त) पंचायत–लालू के डेरा दामोदरपुर प्रखंड शाहपुर, भोजपुर को रबी फसल की क्षति के सर्वेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने तथा ससमय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं करने एवं कृषि यांत्रिकीकरण 2014–15 में लाभान्वित कृषको के भौतिक सत्यापन एवं डाटा अपलोडिग नहीं करने के आरोप में भोजपुर समाहरणालय, आरा, कृषि विभाग कार्यालय आदेश संख्या–271/15 दिनांक 23.05.15 द्वारा तत्काल प्रभाव से चयनमुक्त कर दिया गया।

2. चयनमुक्त कृषि समन्वयक श्री यादव द्वारा कृषि निदेशक के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया। समर्पित अपील अभ्यावेदन में उल्लेखित किया कि शाहपुर प्रखंड फसल क्षति आकलन एवं किसानो द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजातो का विवरण तैयार कर ससमय अंचलाधिकारी, शाहपुर को समर्पित किया गया था।

3. श्री यादव ने कहा है कि सर्वेक्षण कार्य संबंधि सूची समय उपलब्ध नहीं कराना संबंधी आरोप निराधार है क्योंकि ससमय समर्पित सूची के आधार पर ही दिनांक 02.05.15 से विभिन्न तिथियों तक कोषागार से राशि की निकासी कि गई।

4. कृषि यांत्रिकरण, 2014–15 में लाभान्वित कृषको के भौतिक सत्यापन एवं डाटा अपलोडिग नहीं करने के आरोप के बचाव में श्री यादव ने कहा है कि दिनांक 22.05.15 को उनके मोबाईल पर अपलोडिग का मेसेज प्राप्त हुआ। जिसके बाद दिनांक 23.05.15 के प्रातः से वह यंत्रों के सत्यापन कार्य की जॉच कर रहे थे।

5. श्री यादव से प्राप्त अपील अभ्यावेदन की सम्यक रूप में विस्तृत समीक्षा की गयी तथा पाया गया कि इन्होने अपने वास्तविक पदीय दायित्वों एवं कार्यो के अतिरिक्त भी अन्य कार्य किये। उक्त अतिरिक्त कार्य बोझ के कारण इनके द्वारा कतिपय त्रुटियों फसल क्षति प्रतिवेदन में हुई विलंब, वास्तविक रूप से इनकी मंशा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने का प्रमाणित नहीं पाया गया।

6. कृषि निदेशालय के पत्र संख्या–1135 दिनांक 16.12.15 के प्रसंग मे जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर, आरा ने श्री यादव को कड़ी चेतावनी देते हुए इनके अपील अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सेवा में पुनः नियोजित करने की अनुशंसा की है।

7. श्री अशोक कुमार यादव के अपील अभ्यावेदन पर अपीलीय प्राधिकार के रूप में सभी तथ्यो तथा संलग्न साक्ष्यो के आधार पर की गई समीक्षा के आधार पर पाया गया कि इनके कर्त्तव्य में पायी गयी त्रुटियों के तुलना में दिया गया दंड समानुपातिक नहीं है।

अतः श्री यादव द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेखों एवं समर्पित स्पष्टीकरण पर पूर्ण समीक्षोपरान्त आदेश संख्या–271/15 दिनांक 23.05.15 से दिये गये दण्डादेश को निरस्त किया जाता है तथा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को आवेदक को समुचित अवसर प्रदान कर गुण–दोष के आधार पर सुनवाई कर समुचित आदेश पारित करने हेतु Remand किया जाता है।

ह0/–
(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 253 कृ0, पटना, दिनांक– 21.03.2016

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, भोजपुर/संबंधित संयुक्त कृषि निदेशक/ जिला कृषि पदाधिकारी, भोजपुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, शाहपुर, भोजपुर/ प्रखंड कृषि पदाधिकारी, शाहपुर, भोजपुर/श्री अशोक कुमार यादव, कृषि समन्वयक (कृषि कार्य मुक्त) पंचायत लालू के डेरा दामोदरपुर, प्रखंड, शाहपुर, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

21.03.16